(24)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी – संजय शर्मा

अपील संख्या 49 / 2024 तारीख 14.08.2024

कमला देवी पत्नी घनश्याम ब्राहमण निवारी बौंली तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर

---- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार बौंली।

---- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 09.07.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बौंली के निर्णय दिनांक 12.09.2023 एवं नामान्तरकरण संख्या 1275 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी जिसके द्वारा तहसीलदार बौंली द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में खोले जाने वाला नामान्तरकरण खारिज किया गया। तथा उक्त नामान्तरकरण संख्या 1275 दिनांक 12.09.2023 को स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित आए। अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि ग्राम बौंली के साबिक ख0नं0 1220 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा प्रार्थी अपीलान्ट व शिवकुमार के संयुक्त कब्जे व खातेदारी की आराजीयात ग्राम बौंली में स्थित है। यह कि साबिक ख0नं0 1220 के हाल ख0नं0 1649 / 5925 रकबा 0.34 है0 बने है। यह कि आराजी ख0नं0 1649 / 5925 रकबा 0.34 है0 का विभाजन बंटवारा करने हेतु अपीलान्ट व शिवकुमार द्वारा तहसील बौंली में प्रार्थना पत्र प्रशासन ग्राम के संग अभियान 2023 में पेश किया गया जिसमें प्रार्थी अपीलान्ट के बंटवारा मे आराजी ख0नं0 1649 / 5925 रकबा 0.07 है0 व शिवकुमार के ख0नं0 1649 / 5925 में रकबा 0.27 है0 का विभाजन किया गया जिसके आधार पर तहसीलदार, तहसील बौंली द्वारा बंटवारा किया जाकर अपीलान्ट के हक में नामान्तकरण संख्या 1250 दिनांक 20.07.2023 को नामान्तकरण तस्दीक करते हुए अपीलान्ट के हक में उक्त बंटवारे के अनुसार नामान्तकरण का अमल जमाबंदी आराजी ख0नं0 6726 / 1649 रकबा 0.0700 है0 का अमल हो गया। यह कि अपीलान्ट द्वारा उपरोक्त ख0नं0 को आबादी में परिवर्तन करवाने हेतु आराजी ख0नं0 1220, रकबा 1 [illegible] बिस्वा में से 12x60 फिट 669 वर्गमीटर हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया [illegible] दिनांक 20 02.08 को उपरोक्त आराजीयात को कृषि से आबादी में परिवर्तन [illegible] कर दिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:22:18 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

गये। यह कि उपरोक्त आराजीयात को कृषि से आबादी में परिवर्तन होने नामान्तकरण खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा गुपचुप तरीके से व अपीलाटान को बिना सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा नामान्तकरण को यह लिखते हुए खारिज कर दिया गया कि रिपोर्ट में अंकित ख0नं0 का मिलान नहीं होता जबकि तहसीलदार व पटवारी हल्का मिलान क्षेत्रफल का ध्यानपूर्वक देख लेते तो उक्त संशय अपने आप दूर होकर अपीलांट के हक में सही रूप में नामान्तकरण तस्दीक हो जाता। यह कि प्रार्थीया अपीलांट दिनांक 26.07.2024 को पटवारी हल्का के पास नकल जमाबंदी आबादी में परिवर्तन की लेने हेतु गई तब पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि जमाबंदी में आबादी के परिवर्तन होने का इंद्राज नहीं किया गया है व तहसीलदार द्वारा दिनांक 03.10.2023 को नामान्तकरण संख्या 1275 खारिज कर दिया गया तब जाकर अपीलांट को उक्त नामान्तकरण की जानकारी होने पर अपील अन्दर मियाद पेश की गई। अत में वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तकरण संख्या 1275 दिनाक 21.09.2023 को स्वीकार करते हुए अपीलांट के हक में आवासीय का सपरिवर्तन करने हेतु नामान्तकरण तस्दीक करने के आदेश देने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार द्वारा वकील अपीलार्थी द्वारा बहस में किये गये कथनो का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया है कि अपीलान्ट द्वारा जो भू संपरिवर्तन कराया गया है वह 20.02.98 का है जब उस समय इनका तकासमा नहीं हुआ था और ख0नं0 1220 एक ही नम्बर था। इनके द्वारा बंटवारा दिनाक 08.06.2023 को कराया गया है। किन्तु पूर्व के संपरिवर्तन आदेश में ख0नं0 1220 में किस दिशा की भूमि का संपरिवर्तन किया गया है इसका हवाला नहीं है तथा मिलान क्षेत्रफल में साबिक ख0नं0 1220 के हाल ख0नं0 1649/5925 है तथा विभाजन आदेश में भी ख0नं0 1649/5925 का विभाजन हुआ है जबकि नामान्तकरण संख्या 1275 में संपरिवर्तन का जो नामान्तकरण खोला है उसमें ख0नं0 6726/1649 का दर्ज किया गया है इस प्रकार ख0नं0 का मिलान न होने से तहसीलदार बौंली द्वारा खारिज किया गया नामान्तकरण सही खारिज किया गया है। अन्त में पेरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने एवं अपीलाधीन पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अपीलान्ट कमला देवी व शिवकुमार साबिक ख0नं0 1220 हाल ख0नं0 1649/5925 रकबा 0.34 है0 के सह खातेदार है। अपीलान्ट द्वारा संपरिवर्तन आदेश दिनांक 20.02.98 द्वारा साबिक ख0नं0 1220 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा में से 12x60 फिट अर्थात 669 वर्गमीटर का जो भू संपरिवर्तन कराया गया है वह किस दिशा में कराया गया है यह स्पष्ट नहीं है। जब भू संपरिवर्तन कराया गया था उस समय उक्त भूमि का तकासमा नहीं हुआ था और साबिक ख0नं0 1220 एक ही नम्बर था। लगभग 25 वर्ष पश्चात प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में अपीलान्ट व शिवकुमार द्वारा तहसीलदार बौंली के समक्ष विभाजन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें प्रार्थी अपीलान्ट के बंटवारा में आवंटित ख0नं0 ... रकबा 0.07 है0 व शिवकुमार के ख0नं0 1649/5925 में रकबा 0.27 है0 का विभाजन किया गया। जबकि नामान्तकरण संख्या 1275 में संपरिवर्तन का जो नामान्तकरण खोला है उसमें ख0नं0 6726/1649 दर्ज किया गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:22:18 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

File No.

26

इस प्रकार ख0नं0 का मिलान न होने से मेरी राय में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार तहसीलदार बौंली द्वारा खारिज किया गया नामान्तकरण सही खारिज किया जाना प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा तहसीलदार बौंली द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2023 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1275 खारिज किया गया है, उक्त आदेश दिनांक 03.10.2023 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:22:18 IST
Reason: SelfAttested